

उत्तराखण्ड शासन

खेलकूद अनुभाग

संख्या— /VI/2018-34(4)2018

देहरादून : दिनांक 05 अप्रैल, 2018

कार्यालय—झाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) में उल्लिखित प्राविधानों में निहित व्यवस्थानुसार के अनुक्रम में खेलकूद विभाग के अन्तर्गत शासन स्तर से किये जाने वाले वार्षिक स्थानान्तरण हेतु निम्नानुसार स्थायी स्थानान्तरण समिति गठित की जाती है :-

- (1) सचिव, खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष
- (2) अपर सचिव, खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य
- (3) अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य

(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या— 261 /VI/2018-34(4)/2018, तददिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, खेलकूद/कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव/अपर सचिव, खेलकूद/कार्मिक विभाग के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन स्तर से होने वाले वार्षिक स्थानान्तरण हेतु अधिनियम-2017 में उल्लिखित प्राविधानों/व्यवस्था के अन्तर्गत प्रस्ताव समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव।